25/02/23 पत्रावली पेश हुई पक्षकार अनुपस्थित। पक्षकार व उनके अधिवक्ता को एक-एक कर बार-बार आवाज लगाई गई। किन्तु ना ही पक्षकार स्वयं एव ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। बाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajendra